न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 05/2024 दायरा दिनांक 26.02.2024
GCMS No. 2024/13

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

दुर्गाशंकर यादव पुत्र भीकाराम जाति अहीर निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां
— अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये राजेन्द्रसिंह पुत्र समुद्रसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
2. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये कल्याणसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
3. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये अखयराजसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
4. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये ईश्वरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
5. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये शिवसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
6. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये भगवानसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
7. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये रणजीतसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
8. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
9. ग्रामवासी ग्राम फरेदुवा तलहटी जर्ये डूंगरसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत राजपूत फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
10 ग्रामवासी ग्राम पाजनटोरी जर्ये पूरनसिंह पुत्र जीवनलाल जाति किराड निवासी पाजनटोरी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
11 ग्रामवासी ग्राम पाजनटोरी जर्ये मोहनसिंह पुत्र रमेश जाति किराड निवासी पाजनटोरी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
12 ग्रामवासी ग्राम पाजनटोरीजर्ये कन्हैयालाल पुत्र सुआलाल जाति किराड निवासी पाजनटोरी तहसील शाहबाद जिला बारां — राज0
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला—बारां राजस्थान

— रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :—

1. श्री हेमराज नामदेव — अभिभाषक अपीलान्ट।
2. श्री अरविन्द्र शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय

दिनांक 28.08.2024

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.01.2024 मिसल नम्बर 01/23 बउनवान ग्रामवासियान ग्राम फरेदुवा तलहटी एवं पाजनटोरी बनाम दुर्गाशंकर यादव,अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां राज.

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.01.2024 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

प्रार्थीगण ग्रामवासियान ग्राम फरेदुवा तलहटी एवं पाजनटोरी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2023 को जिला कलक्टर बारां के समक्ष पेश किया गया, जिसे जिला कलक्टर बारां ने नियमानुसार कार्यवाही करावें का इन्डोर्समेन्ट अंकित कर एस.डी.ओ. शाहबाद को भेजा। इसी प्रार्थना पत्र पर 3 योग में नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करायें का इन्डोर्समेन्ट अंकित कर एस.डी.ओ. शाहबाद ने तहसीलदार शाहबाद को भेज दिया, जिस पर तहसीलदार शाहबाद के द्वारा यह प्रकरण 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत दर्ज कर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 251 की कार्यवाही हेतु प्रथम क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होती है, यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कानूनन नियत 45 दिन की अवधि में कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है, तब तहसीलदार को निस्तारण का अधिकार होता है। हस्तगत प्रकरण में इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाये बिना सीधे ही जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर उक्त कार्यवाही दर्ज कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रश्नगत आदेश में ग्राम फरेदुवा तलहटी तहसील शाहबाद की आराजी खसरा संख्या 198, 199, 202 तथा आराजी खसरा संख्या 200, 197, 197/1 के मध्य से होकर रास्ता होना बतलाया है, जबकि ऐसा कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में मौजूद नहीं है और ना ही इस तरह का कोई रास्ता कभी मौके पर ही मौजूद रहा है। खेतों के मध्य स्थित मेढ़ को रास्ता बतलाकर रेस्पोडेण्ट ने एकराय होकर द्वेषतावश उक्त कार्यवाही की है। प्रश्नगत कार्यवाही में उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्धित खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना, सूचना दिये बिना, उन्हे सुने बिना विधिक प्रावधानों का उलंघन कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

आराजी खसरा संख्या 197 रकबा 2.01 बीघा तथा आराजी खसरा संख्या 198 रकबा 3.09 बीघा अपीलान्ट के पिता भीखाराम तथा परिजनों के सहखातेदार की स्थित है, जिसके अगवां एन.एच.–27 राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है, उक्त आराजी की फसल सुरक्षार्थ इस राजमार्ग से लगवां मेढ़ पर खातेदारान भीखाराम बगेरहा का सदैव का कच्चा पत्थर कोट हो रहा है। रेस्पोडेण्ट उक्त कोट को लाघंकर आराजी खसरा संख्या 197 तथा 198 के मध्य की मेढ़ पे होकर जबरन पैदल निकलने लगे और गत वर्ष से खातेदारान पर दबाव डालने लगे की रेस्पोडेण्ट खातेदारान के कोट को गिराकर आराजी खसरा संख्या 197 व 198 के मध्य से ट्रेक्टर–ट्राली लेकर अपने खेतों पर आने–जाने का रास्ता निर्माण करेगें, अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट से कहा कि आपका कोई रास्ता नहीं है और यदि आप रास्ता चाहते है तो नियमानुसार 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत रास्ता लेने की कार्यवाही करें, परन्तु रेस्पोडेण्ट गांव के प्रभावशाली लोग है, जिनकाब सारे गावं पर प्रभाव है कोई भी ग्रामवासी रेस्पोडेण्ट का विरोध नहीं करता, जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट ने षडयंत्रपूर्वक आम रास्ता बतलाते हुये तथा आम रास्ते में अपीलान्ट द्वारा बाधा कारित करने की झूठी शिकायतें करना प्रारम्भ कर दिया और मौके पर कोई रास्ता नहीं होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर प्रश्नगत आदेश पारित करा लिया। इस कारण प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विकास अधिकारी शाहबाद के आदेश क्रमांक/ पं0स0शा0/पंचायत शाखा/2022–23/2406–08 दिनांक 27.03.2023 उपखण्ड अधिकारी शाहबाद के आदेश क्रमांक/राजस्व/2023/408 दिनांक 13.04.2023 से स्पष्ट है कि प्रशासन द्वारा किस कदर दबाव में बिना कानून प्रक्रिया को अपनाये क्षेत्राधिकारिता के परे उक्त रास्ते को खुलाशा कराने बाबत्

Scanned with OKEN Scanner

अवैधानिक आदेश पारित किये गये है और इसी दबाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेश क्रमांक/राजस्व/2023/1411–16 दिनांक 11.10.2023 संलग्न है, जिसमें 1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह भू अभिलेख निरीक्षण 2. श्री नवल मेहता पटवारी 3. श्री लालसिंह पटवारी 4. श्री सुमत सहरिया पटवारी को उक्त रास्ता खुलाशा कराकर पालना रिपोर्ट दिनांक 10.11.2023 से पूर्व प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय विचारण पूर्व ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि उक्त रास्ता येन–केन प्रकारेण खुलाशा कराना ही है और प्रश्नगत आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी इसी मंशा को मूर्त रूप दिया है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण भी अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण ने अपील में लिखित जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. अपील की मद नम्बर 1 अस्वीकार है।
2. अपील की मद नम्बर 2 जिस पर प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। नियमानुसार रास्ता खुलास करवाया गया है। न्यायालय तहसीलदार शाहबाद द्वारा दिनांक 22.02.1999 को निर्णय पारित कर रास्ता कायम किया गया था। उक्त परम्परागत रास्ते को पूर्व में अपीलान्ट के पिता भीखाराम द्वारा अवरूद्ध किया गया था। जिसको माननीय न्यायालय तहसीलदार शाहबाद द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.1999 से रास्ता कायम किया जिसकी अपील पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.1999 से प्रकरण पंचायत को रिमाण्ड किया। ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त निर्णय दिनांक 31.08.1999 के निर्णय से खसरा नम्बर 200, 197 की दक्षिणी मेड़ से रास्ता मौजूद होना प्रमाणित किया व उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य रास्ता कायम नहीं किया जिसमें अपीलान्ट का पिता पक्षकार था, उसके द्वारा उक्त निर्णय की कोई अपील नहीं की गई। पुराना रास्ता परम्परागत बहाल था जिसका खुलासा तहसीलदार शाहबाद द्वारा करवाया गया। तहसीलदार का पूर्व का निर्णय 22.02.1999 माननीय न्यायालय का पूर्व का निर्णय दिनांक 16.08.1999 व ग्राम पंचायत का पूर्व का निर्णय दिनांक 31.08.1999 के विरूद्ध अपीलान्ट के पिता ने आपत्ति/अपील नहीं की अपीलान्ट के द्वारा पूर्व के निर्णयों को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्ट पुराने आदेशों से बाध्य है। पुराने आदेशों को चुनौती दिये बिना अपील चलने योग्य नहीं है।
3. अपील में मद नम्बर 3 अस्वीकार है विधिवत सुनावाई का पर्याप्त अवसर देकर पुराने परम्परागत रास्ते के अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया है।
4. मद नम्बर 4 सर्वथा असत्य है। रिकोर्डड रूप से ग्रामवासियान का परम्परागत रास्ता होना उपयोग में चले आना पूर्व वर्णित कार्यवाही ग्राम पंचायत शुभघरा व तहसीलदार शाहबाद से प्रमाणित है।
5. अपील में मद नम्बर 5 अस्वीकार है नियमानुसार रास्ते का अवरोध हटाया है।
6. मद नम्बर 6 अस्वीकार है। रास्ता पूर्व से मौजूद होकर उपयोग में रहना ग्राम पंचायत व तहसीलदार शाहबाद के सन् 1999 के निर्णयों से प्रमाणित है।
7. अपील मद नम्बर 7, 8 विधिक है अपील मियाद बाहर है।
8. अपील में अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी/शिकायकर्तागण को पक्षकार नहीं बताया है अपील असंयोग के दोष से ग्रस्त होकर खारिज किये जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 197, 198 अपीलान्ट के पिता व परियाजनों के सहखाते की भूमि स्थित है खातेदारी भूमि में से रास्ता सुखाचार के तहत रेस्पोडेण्ट रास्ता चाहता है तो नियमानुसार 251 ''ए'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत रास्ते के लिए कार्यवाही करें। साथ ही निवेदन किया कि खसरा नम्बर 197, 198 की अपील इनका पुराने फैसले में उक्त खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं क्योंकि उस खसरा नम्बर का विवाद ही नहीं था। रिकोडेर्ड खातेदार हैं अपीलार्थी रास्ता देने को तैयार परन्तु रेस्पोडेण्टगण नियमानुसार 251 ''ए'' के तहत कार्यवाही करें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण ने कहा कि अपील जबाव को ही बहस माना जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पालना रिपोर्ट दिनांक 07.02.2024 से उक्त कदिमी रास्ता पाया जाता है। ग्राम फरेदुवा तलहटी की आराजी खसरा नम्बर 197 व 198 की उत्तरी मेढ़ पर जो कि एन.एच. 27 से लगी हुई है पर पत्थर कोट रखकर कदिमी रास्ते को बन्द कर रखा था गठित टीम द्वारा पत्थर कोट को हटाकर कदिमी रास्ते का खुलासा किया गया। जो पूर्व से ही अन्य खेतों में आने–जाने हेतु कदिमी रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। रिकोर्डड रूप से ग्रामवासियान का परम्परागत रास्ता होना उपयोग में चले आना पूर्व वर्णित कार्यवाही ग्राम पंचायत शुभघरा व तहसीलदार शाहबाद से प्रमाणित है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कि जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner